न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 160/2019

1. भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालसोट रोड़ दौसा जिला दौसा (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामखिलाड़ी मीणा पुत्र श्री कन्हैयालाल ग्राम खुशाला का बास, कालाखो, तहसील व जिला दौसा (राज0)

अप्रार्थी

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री सीताराम दायमा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 26.8.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालसोट रोड़ दौसा जिला दौसा (राज0) ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री रामखिलाड़ी मीणा पुत्र श्री कन्हैयालाल ग्राम खुशाला का बास, कालाखो, तहसील व जिला दौसा को 15,00,000/–(रूपये पन्द्रह लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालसोट रोड़ दौसा को सुना गया। हमने प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालसोट रोड़ दौसा जिला दौसा (राज0) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालसोट रोड़ दौसा जिला दौसा (राज0) को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति आवासीय मकान खसरा नम्बर 2305 क्षेत्रफल 1200 वर्गमीटर ग्राम खुशाला का बास, कालाखो तहसील व जिला दौसा जो श्रीमति रामप्यारी पत्नि श्री कन्हैयालाल के नाम है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालसोट रोड़ दौसा को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 26 अगस्त, 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official